

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3280/2024


दिनांक :05.10.2024

श्री भरत पूनिया (RJ01359), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर) उदयपुर को दिनांक 15.10.2024 से 29.10.2024 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिनांक 30.10.2024 से 03.11.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री पूनिया की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (उत्तर) उदयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर) उदयपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/112/2020/ 7913

दिनांक 05.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 3903 दिनांक 11.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री भरत पूनिया (RJ01359), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर) उदयपुर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (उत्तर) उदयपुर।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (उत्तर) उदयपुर।

  
05/10/2024  
सहायक रजिस्ट्रार